

राजस्थान सरकार  
पर्यावरण विभाग


क्रमांक प.27(31) पर्या/78 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 09 मई, 2012

अधिसूचना


जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उपधारा 2(ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय एतद्वारा श्री संकठा प्रसाद, आई.एफ.एस. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के अध्यक्ष पद पर मनोनीत करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(मधुसूदन तिवाड़ी)  
शासन उप सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मंत्री, पर्यावरण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव/ विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
10. श्री संकठा प्रसाद, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि वे अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रेषित है।
11. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग।
12. राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राज0, जयपुर को राजस्थान के राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान के राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
15. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, नई दिल्ली।

  
शासन उप सचिव